बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति सं–PR 343

सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशीप फॉर कॉलेज एण्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स

एतद् द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2019 में 20th Percentile Marks से उत्तीर्णता प्राप्त विद्यार्थियों की सूची समिति के वेबसाईट biharboardonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशीप फॉर कॉलेज एण्ड यूनिवर्सिटी स्टुडेन्ट्स योजना के तहत online आवदेन किया जाना है।

1. ऑनलाईन आवेदन करने हेतु NSP (नेशनल स्कॉलरशीप पोर्टल) दिनांक 15 जुलाई 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक ही खुला रहेगा।

2- छात्र/छात्रा NSP पर आवेदन करते समय अपना रौल कोड एवं रौल नं0 निम्न प्रकार से प्रविष्ट करेंगे–

Roll Code- Roll No
11066-19020168

3. सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एण्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेन्टस योजना के तहत जो परीक्षार्थी, वर्ष 2017 में छात्रवृत्ति प्राप्त किए हैं, वे 1st Renewal के लिए, जो वर्ष 2016 मे छात्रवृत्ति प्राप्त किए हैं वे 2nd Renewal के लिए एवं जो वर्ष 2015 मे छात्रवृत्ति प्राप्त किए हैं वे 3rd Renewal के लिए NSP (नेशनल स्कॉलरशीप पोर्टल)/www.scholarship.gov.in पर login कर online आवेदन कर सकते हैं।

4. **उपर्युक्त योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक शर्तें निम्नवत् हैं–**
   - (i.) अभिभावक का वार्षिक आय सभी श्रोतों से 8 लाख रू0 से अधिक नहीं होना चाहिए।
   - (ii) आवेदक किसी भी प्रकार का छात्रवृत्ति किसी अन्य श्रोत से प्राप्त नहीं कर रहा हो।
   - (iii) **उपर अंकित कंडिका (3)** के तहत Renewal के लिए आवेदक का स्नातक स्तरीय वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत कम से कम 50% होना चाहिए तथा उपस्थिति (Attendance) कम से कम 75% होनी चाहिए।
   - (iv) आवेदक को NSP के अन्य शर्तों का भी अनुपालन करना आवश्यक होगा।

5. +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान को निदेश दिया जाता है कि उक्त योजना से संबंधित जानकारी छात्र/छात्रा को देने एवं जागरूकता फैलाने हेतु अपने शिक्षण संस्थान के सूचना–पट्ट पर लिखना सुनिश्चित करेगें। साथ ही पम्पलेट आदि के माध्यम से भी छात्र/छात्राओं के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे, ताकि बिहार के अधिक से अधिक छात्र/छात्राएँ इस योजना का लाभ ले सकें।

6. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उक्त योजना से संबंधित सिर्फ जानकारी ही छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती है। स्कॉलरशिप की राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा DBT (Direct Benefit Transfer) प्रोग्राम के तहत किया जाता है। अतः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से छात्रवृत्ति के भुगतान से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

14.8.19

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना